GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. *50
TO BE ANSWERED ON 12.12.2022

Minimum wage to khadi spinners and weavers

*50. SHRI ANEEL PRASAD HEGDE:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

(a) whether Government is aware that taking into consideration the number of days of work made available to khadi artisans namely spinners and weavers in a year in most parts of the country, majority of their income is much below minimum wage of unskilled labourers;

(b) the details of break-up of their average approximate minimum income per day from wage and Modified Market Development Assistance (MMDA) combined; and

(c) whether Government is aware that in MMDA system, khadi institutions face problems vis-a-vis payment delays and rebate uniformity absence, if so, the reasons therefor?

ANSWER

MINISTER OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI NARAYAN RANE)

(a) to (c): A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO THE PARTS (a) to (c) OF RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. *50 FOR ANSWER ON 12.12.2022

(a)&(b): Khadi activities are carried out by Artisans of Khadi Institutions which are registered under the Societies Registration Act 1860 or under relevant State Societies Registration Act/ Co-operative Societies registered under Cooperative Societies Act 1912/ Trusts created for charitable purpose, etc. and all these Institutions are registered with Khadi and Village Industries Commission (KVIC).

The Minimum Wages Act empowers the Appropriate Government to fix minimum wages for employees working in specified employments and it fixes minimum wages for the Scheduled employment mentioned in the Act. The Scheduled employment does not cover Khadi activities. Further, the relationship between Khadi Institutions and Artisans is not that of the employer –employee relationship as characterised below:

- There is no employer-employee relationship existing between the Khadi Institutions and the Khadi artisans/spinners/weavers.
- The Khadi artisans/spinners/weavers are independent self-employed persons carrying out Khadi activities **on piece rate basis for their earnings** as per their convenience.
- The Institutions are essentially service organizations providing infrastructural support to these self-employed artisans.
- The Khadi Institutions are supplying charkhas and slivers to the spinners and weavers for doing the work at their own homes and returning the yarn to the institutions, for which they are paid according to the quantity and quality of work done by them.

The Khadi artisans get their earnings for the production made by them, which varies from artisan to artisan and also varies according to variety of Khadi they spin or weave, such as Cotton Khadi, Silk Khadi, Muslin Khadi, Woollen Khadi, etc.

The Average approximate earning of Khadi artisans from Khadi activity:

The earnings of the Khadi artisans comprise of base earnings, incentives and artisan welfare funds. The earnings of the Khadi artisans is determined by the level of production by the artisans under piece rate system. The average production capacity of the spinners is around 22 hanks per day on New Model Charkha (NMC) on which the earnings are at the rate of Rs. 7.50 per hank and the total earnings comes to around Rs. 165/- per day, on which 10% incentive and 12% Artisan Welfare Fund (AWF) are to be added. Thus, the total earnings of the artisans come to around Rs. 201/- per day.

Under the Modified Market Development Assistance (MMDA), the Khadi Institutions are paid Market Development Assistance at 35% of the prime cost of production. Out of this, 49% is passed on to Khadi artisans and Karyakartas as incentive, so as to enhance their earning at par with wages in other sector. Depending on the MMDA eligibility of Khadi Spinners, the average earning is around Rs. 217.80 per day (including MMDA incentive of Rs. 16.80 per day). Whereas, the average weaver's earning is around Rs. 250/- per day including incentive and AWF component.

Further, the payments of Khadi artisans are periodically enhanced by Khadi Institutions with reference to prevailing living cost. Further, the State Governments like Kerala, Karnataka, Rajasthan and Gujarat are also providing additional incentives to the Spinners and Weavers in their States.

(c): The MMDA component is envisaged for extending benefits to Khadi artisans, Khadi Karyakartas and Khadi Institutions to enhance earnings of the artisans involved in Khadi and ensuring quality of khadi. The rebate on Khadi was extended on the sale point to provide discount to the customers for reducing the cost of the Khadi fabric on par with the general textile cost in the open market in which there was no benefit for Khadi artisans. Subsequently, the rebate system has been discontinued.

The MMDA claims are submitted by Khadi institutions on quarterly basis through online processing system within stipulated timeframe as prescribed. MMDA incentive are disbursed by KVIC on quarterly basis within 35 days after completion of the particular quarter. The delay in release of MMDA is mainly due to non-compliance of requisite parameters, delay in submission of claims and lack of information from Khadi Institutions.

In order to help Khadi institutions to reorient their activities and to increase the artisan's earnings while ensuring quality of Khadi to customers, MMDA for Cotton, Woollen Khadi has been revised from 30% to 35% of the prime cost. Further, the field offices of KVIC are providing handholding support, conducting regular awareness camps, review meetings and monitoring of MMDA scheme for effective implementation and timely disbursement of MMDA claims.

*****

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. *50

उत्तर देने की तारीख 12.12.2022

खादी कातने वालों और बुनकरों को न्यूनतम मजदूरी

***50. श्री. अनिल प्रसाद हेगडे:**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के अधिकांश हिस्सों में एक वर्ष में खादी कारीगरों नामत: सूत कातने वालों और बुनकरों को उपलब्ध कराए गए कार्य के दिवसों के हिसाब से उनमें से अधिकांश की आय कुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी से काफी कम है;

(ख) मजदूरी और संशोधित बाजार विकास सहायता (एमएमडीए) दोनों से प्रतिदिन उन्हें होने वाली औसत अनुमानित कुल न्यूनतम आय का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एमएमडीए प्रणाली में, खादी संस्थानों को भुगतान में देरी और छूट में एकरूपता नहीं होने के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ता है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

(क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

<u>दिनांक 12.12.2022 को उत्तर के लिए राज्यसभा तारांकित प्रश्न संख्या *50 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण</u>

(क और ख) खादी गतिविधियों को उन खादी संस्थाओं के कारीगरों द्वारा संचालित किया जाता है, जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत है या संबंधित राज्य सोसायटी पंजीकरण अधिनियम/सहकारी सोसायटी अधिनियम 1912 के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी समितियां/धर्मार्थ उद्देश्य के लिए बनाए गए ट्रस्ट आदि हैं और ये सभी संस्थाएं खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के साथ पंजीकृत हैं।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम उपयुक्त सरकार को विनिर्दिष्ट नियोजनों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने का अधिकार देता है और यह अधिनियम में उल्लिखित सूचीबद्ध रोजगार के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करता है। सूचीबद्ध रोजगार को खादी गतिविधियों में शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा, खादी संस्थाओं और कारीगरों के बीच का संबंध, निमन्वत रूप से वर्णित मदों जैसा नियोक्ता-कर्मचारी संबंध नहीं है:-

- खादी संस्थाओं और खादी कारीगरों/कत्तिनों/बुनकरों के बीच कोई नियोक्ता-कर्मचारी संबंध मौजूद नहीं है।
- खादी कारीगर/कत्तिन/बुनकर स्वतंत्र स्व-नियोजित व्यक्ति हैं, जो पीस रेट के आधार पर अपनी आय हेतु काम करते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार अंशकालिक आधार पर खादी गतिविधियों को अपनाते हैं।
- संस्थाएं मूल रूप से सेवा संगठन हैं, जो इन स्व-नियोजित कारीगरों को आधारभूत सहायता प्रदान करती हैं।
- खादी संस्थाएं कत्तिनों और बुनकरों को उनके अपने घरों में काम करने और सूत को संस्थाओं को लौटाने के लिए चरखे एवं करघों की आपूर्ति कर रही हैं, जिसके लिए उन्हें उनके द्वारा किए गए काम की मात्रा और गुणवत्ता के अनुसार भुगतान किया जाता है।

खादी कारीगरों को उनके द्वारा किए गए उत्पादन हेतु उन्हें आय प्राप्त होती है, जो कारीगर के आधार पर भिन्न-भिन्न होती है और खादी की विविधता व किस्म- जैसे सूती खादी, रेशम खादी, मसलीन खादी, ऊनी खादी आदि के अनुसार भी भिन्न होती है।

खादी गतिविधि से खादी कारीगरों की औसत अनुमानित आय:

खादी कारीगरों की मूल आय में कमाई, प्रोत्साहन और कारीगर कल्याण कोष शामिल हैं। पीस रेट प्रणाली के अंतर्गत कारीगरों द्वारा उत्पादन के स्तर के अनुसार खादी कारीगरों की आय निर्धारित होती है। न्यू मॉडल चरखा (एनएमसी) पर कत्तिनों की औसत उत्पादन क्षमता लगभग 22 हैंक प्रति दिन है, जिस पर 7.50 रुपये प्रति हैंक की दर से भुगतान होता है और प्रति दिन लगभग 165/- रु. आय होती है,जिसमें 10% प्रोत्साहन और 12% कारीगर कल्याण कोष (एडबल्यूएफ़) जोड़ा जाना है। अतः कारीगरों को प्रति दिन लगभग 201 रु. की आय होती है।

संशोधित विपणन विकास सहायता (एमएमडीए) के अंतर्गत, खादी संस्थाओं को उत्पादन की मूल लागत के 35% पर विपणन विकास सहायता का भुगतान किया जाता है। इसमें से 49% खादी कारीगरों और कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन के रूप में दिया जाता है, ताकि अन्य क्षेत्र में मजदूरी के बराबर उनकी आय में वृद्धि हो सके। खादी कत्तिनों की एमएमडीए पात्रता के आधार पर, औसत कताई आय लगभग 217.8रु.प्रतिदिन है (16.8 रुपये प्रति दिन के एमएमडीए प्रोत्साहन सहित)। जबकि, प्रोत्साहन और एडबल्यूएफ सहित औसत बुनाई आय लगभग 250/- रुपये प्रति दिन है।

इसके अतिरिक्त, खादी कारीगरों के भुगतान को समय-समय पर खादी संस्थानों द्वारा प्रचलित निर्वाह लागत के आधार पर संशोधित किया जाता है और भुगतान को उचित रूप से बढ़ाया जाता है। इसके अतिरिक्त, केरल, कर्नाटक, राजस्थान और गुजरात जैसी राज्य सरकारें भी अपने राज्यों में कत्तिनों और बुनकरों को अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान कर रही हैं।

(ग) खादी में शामिल कारीगरों की आय बढ़ाने और खादी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए खादी कारीगरों, खादी कार्यकर्ताओं और खादी संस्थाओं को लाभ पहुंचाने हेतु एमएमडीए घटक की परिकल्पना की गई है। खुले बाजार में सामान्य वस्त्र की लागत के बराबर खादी वस्त्र की लागत को कम करने के उद्देश्य से ग्राहकों को रियायत प्रदान करने के लिए बिक्री केंद्र पर खादी रिबेट को प्रदान किया गया था, जिसमें खादी कारीगरों के लिए कोई लाभ नही था। इसलिए, इस रियायत को समाप्त कर दिया गया है।

खादी संस्थाओं द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन प्रक्रिया प्रणाली के माध्यम से त्रैमासिक आधार पर प्रस्तुत एमएमडीए दावे किए जाते हैं। विशेष तिमाही के पूरा होने के 35 दिनों के भीतर केवीआईसी द्वारा एमएमडीए प्रोत्साहन का वितरण तिमाही आधार पर किया जाता है। एमएमडीए जारी करने में विलंब का मुख्य कारण खादी संस्थाओं द्वारा अपेक्षित मापदंडों का अनुपालन नहीं करना, दावों को प्रस्तुत करने में विलंब और जानकारी की कमी है।

खादी संस्थाओं को उनकी गतिविधियों को पुन: उन्मुख करने में सहायता करने और ग्राहकों को खादी की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए कारीगरों की आय बढ़ाने के लिए सूती, ऊनी खादी के लिए एमएमडीए को मूल लागत पर 30% से 35% तक संशोधित किया गया है। इसके अतिरिक्त, केवीआईसी के क्षेत्रीय कार्यालय एमएमडीए दावों के समय पर संवितरण करने हेतु और प्रभावी कार्यान्वयन हेतु प्रारम्भिक सहायता प्रदान कर रहे है, नियमित जागरूकता शिविर और समीक्षा बैठकों का आयोजन तथा एमएमडीए स्कीम की निगरानी कर रहे हैं।

******

श्री अनिल प्रसाद हेगडे : सभापति महोदय, इस सदन में यह मेरा पहला स्टार्ड क्वेश्चन है।

First of all, I would like to thank the Minister. मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि देश भर में जो कत्तिन, बुनकर और खादी के संस्थान हैं, इनकी सही हालत... कत्तिन, बुनकर की आमदनी क्या है, आपने इस बारे में सही बात रखी है। Only that fabric can be said as khadi which is handspun and hand-woven. अगर कत्तिन और बुनकर ही नहीं रहेंगे, तो आगे आपको खादी का कपड़ा ही नहीं मिलेगा। मान्यवर, आपने अपने जवाब में यह बताया है कि कत्तिन लोगों को एक हैंक के लिए साढ़े सात रुपये दिये जाते हैं, लेकिन कत्तिन लोगों को एक दिन में 10 से 12 हेक ही दिये जाते हैं। इसका मतलब है कि इन लोगों की न्यूनतम आमदनी सौ रुपये से कम है और इन लोगों को यह काम साल में 200 दिन भी नहीं मिलता है।

श्री सभापति : आप प्रश्न पूछिए।

श्री अनिल प्रसाद हेगडे : यही हालत बुनकर लोगों की भी है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप मंत्री महोदय से मेरे माध्यम से सीधा प्रश्न पूछिए।

श्री अनिल प्रसाद हेगडे: सर, मेरा सीधा सा प्रश्न यह है कि क्या 2022 में एमएमडीए, कृषि विपणन सहायता 90 प्रतिशत लोगों को, खादी संस्थाओं को और कत्तिन/बुनकरों को मिली है या नहीं मिली है?

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा: माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो पूछा है, उसमें विशेष रूप से उन्होंने कहा है कि प्रति गुंडी 7.50 रुपये दिया जाता है। हमारा जो विभाग है, उसमें विशेष रूप से हमारे जो कारीगर हैं, वे जितना काम करते हैं, उन्हें उतना पैसा दिया जाता है। विशेष रूप से, हम लोग यह देखते हैं कि वे जितना कातते हैं, उसी के हिसाब से उनको पैसा दिया जाता है। अभी जो उनको 7.50 रुपये दिए जा रहे हैं, उसकी विशेष रूप से चिन्ता की जा रही है कि उस पैसे को बढ़ाकर 10 रुपये कर दिया जाए। इस बात पर चिन्ता की जा रही है, इस पर मीटिंग भी की जा रही है और शीघ्र ही इस पैसे को बढ़ाकर ज्यादा कर दिया जाएगा।

श्री अनिल प्रसाद हेगडे: आपने बताया है कि खादी संस्थाओं में केवीआईसी का कोई रोल नहीं है और यहाँ पर मास्टर-सर्वेन्ट रिलेशनशिप नहीं है। यहाँ बात यह है कि कत्तिन या बुनकर, इन दोनों लोगों को अथवा खादी संस्थाओं को जनवरी, 2022 से लेकर अब तक जो एमएमडीए मिलना था, वह अभी तक नहीं मिला है। जब तक कत्तिन और बुनकर नहीं रहेंगे, तब तक खादी की संस्था जिन्दा नहीं रहेगी। क्या सरकार कत्तिन, बुनकर और खादी संस्थाओं को जिन्दा रखने के लिए कोई योजना बनाएगी?

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा: माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने एमएमडीए की बात की है। मैं विशेष रूप से यह कह सकता हूँ कि हमारे जो बुनकर भाई हैं, उन्हें अभी तक जो 30 परसेंट

का एमएमडीए दिया जाता था, उसे बढ़ाकर 35 परसेंट कर दिया गया है। उनकी आमदनी ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिए और बिन्दुओं पर चिन्ता की जा रही है। विशेष रूप से, हमारे जो छोटे-छोटे कारीगर हैं, जो कि घर पर बैठकर काम करते हैं, उनके बारे में हम लोग पहले भी बता चुके हैं कि उनको किस तरह से भुगतान किया जा रहा है। माननीय सदस्य उन लोगों की बात कर रहे हैं, जिन्हें एमएमडीए नहीं मिला है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि इसकी हर तीन महीने में समीक्षा होती है और तीन महीने की समीक्षा के बाद एमएमडीए उन संस्थानों और कारीगरों को दे दिया जाता है, जिनके यहाँ से ये सारी चीज़ें बनकर आती हैं।

DR. SANTANU SEN: Respected Chair, thanks a tonne for lending your ears to me. So far as the nation-wide performance of MSME is concerned, our State of West Bengal stands second. But despite this, many a time, we are facing non-cooperation from our Government of India so far as the fund is concerned or so far as the guidance is concerned.

MR. CHAIRMAN: Dr. Saheb, a pointed question to the hon. Minister.

DR. SANTANU SEN: So, my question to my learned Minister is, the States which are performing best, why don't you give some special preference or special attention to those States like our State of West Bengal?

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा: माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने अपने राज्य के लिए योजनाओं के बारे में बात की है। मैं विशेष रूप से यह कह सकता हूँ कि एमएसएमई देश भर में काम कर रही है। एक पीएमईजीपी योजना है और अगर कोई यूनिट सिक हो गई है, तो उसको पुनः चालू करने के लिए ईसीएलजीएस योजना है। इस तरह, ये सारी योजनाएँ चल रही हैं और एमएसएमई पूरे देश में उनका लाभ या सब्सिडी दे रही है। माननीय सदस्य के राज्य में भी ये योजनाएँ चल रही हैं और उनका लाभ वहाँ के लोग ले रहे हैं।

डा. अशोक कुमार मित्तल: सर, मैं आपके माध्यम से इसी सब्जेक्ट पर यह कहना चाहूँगा कि हम अपने आर्टिज़ंस की लाइफ को सुधारने के लिए छोटे-छोटे कदम उठा रहे हैं। हम ज्यादा से ज्यादा 200 रुपये पर डे की बात करते हैं या हम 30 से 35 परसेंट जैसे छोटे-छोटे इन्क्रीमेंट्स की बात कर रहे हैं। सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या आप उनके लिए कुछ बड़े स्टेप्स उठाने जा रहे हैं, ताकि उनकी लाइफ को हम इस लेवल पर ला सकें कि वे अपने बच्चों को दो वक्त की रोटी खिला सकें और स्कूलों में शिक्षा दे सकें?

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा: माननीय सभापति महोदय, एमएसएमई में जो योजनाएं चल रही हैं, वे गरीब लोगों के लिए हैं, ताकि उनसे उन गरीब लोगों को समय से पैसा मिल जाए, आसानी से लोन प्राप्त हो जाए और अन्य सारी चीज़ें हो जाएं। वे कपड़ा कात कर संस्थानों को देते हैं। हम लोग भी

संस्थानों को एमएमडीए देते हैं। अभी हम लोगों ने बताया है कि वह 30 परसेंट से बढ़ाकर 35 परसेंट कर दिया गया है। 35 परसेंट में संस्थानों को पैसा देते हैं और गरीब आदमी को भी पैसा देते हैं, जिससे उनकी आय बढ़ सके।

SHRI A.A. RAHIM: Sir, *khadi* is a symbol of our glorious Freedom struggle. So, no doubt, it is an industry which needs to be protected and nurtured. Only then can the welfare of the *khadi* weavers and spinners be ensured. My point is that the imposition of five per cent GST on *khadi* clothes and 12 per cent GST on readymade *khadi* products priced over Rs. 1,000 is negatively and badly affecting the *khadi* industry. Will the Government consider making *khadi* clothes and readymade *khadi* products exempt from GST?

श्री भानु प्रताप सिंह वर्माः माननीय सभापति महोदय, इन्होंने खादी पर जीएसटी की बात की है। जो खादी के वस्त्र बनते हैं, वे हाथ से बुने जाते हैं व अन्य सारी चीज़ें बुनी जाती हैं। उन पर एक प्रावधान के अनुसार जीएसटी लगाया गया है। मैं विशेष रूप से कह सकता हूं कि गरीब लोग, जो खादी बनाते हैं व अन्य सारी चीज़ें करते हैं, सरकार उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रही है।

श्री दिग्विजय सिंहः सभापति महोदय, खादी इस देश के सबसे गरीब लोगों को रोज़गार देता है। जैसा कि माननीय सदस्य ने भी अभी बताया कि उसमें पेमेंट में देरी हो रही है। महोदय, खादी की जो परिभाषा है, वह बिल्कुल साफ है कि इसमें किसी मशीन का उपयोग नहीं होना चाहिए। मेरे पास ऐसी कई शिकायतें आती हैं, विशेषकर पश्चिमी क्षेत्र के एक प्रांत से शिकायत आयी है कि वहां मशीन का उपयोग करके खादी का उत्पादन हो रहा है, जो कि खादी की मूल सोच के खिलाफ है। क्या ऐसी शिकायत माननीय मंत्री जी के पास आयी है?

श्री भानु प्रताप सिंह वर्माः माननीय सभापति महोदय, अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आयी है। अगर माननीय सदस्य कोई ऐसी चीज़ बताएंगे, तो निश्चित रूप से हम इसकी जांच करेंगे।

श्री सभापतिः क्वेश्चन नम्बर. 51